

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (3) वन/2018

जयपुर, दिनांक:- 16-02-2018

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- Diversion of 4.1 ha of forest land in favour of PWD
PMGSY-WB division Shahpura (Bhilwara, Rajasthan)
For Construction of Bijoliyan Khurd to Chhatri Khera
via Mangarh road under Rajasthan Road Sector
Modernization Project.

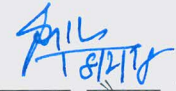
संदर्भ:- आपका पत्रांक 803 दिनांक 07.02.2018 एवं ऑन लाईन प्रस्ताव
संख्या FP/RJ/ROAD/20893/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्रेषित प्रस्ताव की मूल प्रति
वापिस लौटाकर निर्देशानुसार निवेदन है कि निम्न आक्षेपों/कमियों की पूर्ति कर
प्रस्ताव वापिस भिजवाने का श्रम करावे:-

1. प्रस्ताव में संलग्न नक्शों व अन्य दस्तावेजों को संबंधित उप वन
संरक्षक से अधिप्रमाणित नहीं करवाया गया है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम वन भूमि उपयोग हेतु प्रेषित
अण्डरटैकिंग सर्टिफिकेट 4.1 है० का न होकर 5.74 है० प्रेषित
किया है।
3. पार्ट III की मूल प्रति मय कार्यालय मोहर के साथ प्रेषित करे।

भवदीय,


(रामकरण खैरवा)
विशेषाधिकारी